उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या 449/वि0अनु0–1 /2004
देहरादून,दिनांक, 17 जून,2004

विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की स्थापना एवं संस्थान की नियमावली विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

के. सी. मिश्र
अपर सचिव,वित्त ।

संख्या 449 (1)/वि0अनु0–1/2004,तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– सचिव श्री राज्यपाल,उत्तरांचल
2– सचिव,मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन ।
3– महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
4– प्रमुख सचिव,वित्त /सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन ।
5– प्रमुख सचिव,गृह,उत्तरांचल शासन ।
6– प्रमुख सचिव,समाज कल्याण ,उत्तरांचल शासन ।
7– रजिस्ट्रार,फर्मस सोसाइटीज एवं चिट्स फन्डस,उत्तरांचल,देहरादून ।
8– पुलिस महानिदेशक,उत्तरांचल,देहरादून ।
9– निदेशक,सैनिक कल्याण,उत्तरांचल,देहरादून ।
10– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें एवं सह–स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तरांचल,देहरादून ।
11– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा, से

(के. सी. मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

19/6/04

उत्तरांचल पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान
4, सुभाष रोड, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून

उत्तरांचल पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की स्थापना उ0 प्र0 से बंटवारे के परिणाम स्वरूप प्राप्त धनराशि रू0 9838579/– से की जा रही है । यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है जिसके Settlor मुख्य मंत्री, उत्तरांचल हैं ।

2. उद्देश्यः– संस्थान का उददेश्य भारत–चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य बाहय आकमण के समय अथवा वाहय तत्वों के द्वारा प्रेरित इमरजेन्सी / आतंकवाद की घटनाओं / आपातकालीन स्थिति / श्रीलंका में'पवन' आपरेशन/देश /प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रखरखाव /साम्प्रदायिकदंगों/ दैवी–आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में /दस्यु उन्मूलन अभियान /अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल /पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों एवं उनके आश्रितों,जो उत्तरांचल के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिए योजनायें संचालित करना है ।

3. संस्थान द्वारा उपरोक्त श्रेणी के लाभ भोगियों एवं उनके आश्रितों/पति/ पत्नी/ माता/पिता/बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा मॉ–बाप के न होने की दशा में दादा–दादी /नाना–नानी, जो लाभभोगियों पर पूर्णतया आश्रित हो, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है ।

4. संचालित योजनायें:–(1) उपरोक्त पैरा--2 में वर्णित घटनाओं/ परिस्थितियों में सैन्यबल/पुलिस एवं पी0ए0सी0 कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना ।
(2) जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता ।
(3) लडकियों की शादी हेतु सहायता(जिनकी विवाह के समय कमसे कम 18 वर्ष की आयु हो)
(4) लाभ भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता ।

5. संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत् हैं :–

(अ) अनुग्रह अनुदान :–

1–वीरगति को प्राप्त मामलों में :

पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि 29.7.87से 24.4.95 तक के मामलों में	दिनांक 25.4.95 से 31.3.98 तक के मामले में	दिनांक1.4.98 तथा अब तक के मामले में

(धनराशि रुपयों में)

(1) कमिसण्ड आफिसर	5000/–	50000/–	75000/–
(2) जूनियर कमिसण्ड अधिकारी	3000/–	30000/–	45000/–
(3) अन्य श्रेणी	2000/–	20000/–	45000/–

2– स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में :

(धनराशि रुपयों में)

(1) कमिशण्ड अधिकारी	2000/–	20000/–	30000/–
(2) जूनियर कमिशण्ड अधिकारी	1500/–	15000/–	22500/–
(3) अन्य श्रेणी	1000/–	10000/–	22500/–

(ब) जीवन निर्वाह हेतु :

पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से दिनांक 24.4.95 तक के मामलों में

दिनांक 25.4.95 से अब तक के मामलों में

(धनराशि रुपयों में)

एक मुश्त एक बार अब केवल हवलदार रैंक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है । 1,000/– 5,000/–

(स) लड़कियों की शादी हेतु: (जिनकी विवाह के समय कमसे कम 18 वर्ष की आयु हो) केवल हवलदार रैंक तक के मामलों में ही देय ।

(धनराशि रुपयों में)

(1)सिपाही,लान्सनायक,नायक एवं हवलदार एवं पुलिस, पी.ए.सी. के समतुल्य रैंकस 1,500/– 15,000/–

नोट :– विवाह हेतु केवल वो ही प्रार्थना –पत्र भेजें जायें जिनमें विवाह की तिथि 1.4.98 या उसके पश्चात् की हो–। इन मामलों में केवल 25.4.95 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा । उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मामलों में नकद रूप में भुगतान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान सामग्री/ राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्रों के रूप में किया जायेगा । प्रार्थी को तदनुसार निर्धारित प्रार्थना पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा । यह सहायता केवल जूनियर कमीशन स्तर एवं समतुल्य रैंकस के मामले में ही अनुमन्य है ।

उत्तरांचल पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के कोष से वार्षिक शिक्षा अनुदान दिये जाने के नि

1. इन नियमों को "वार्षिक शिक्षा अनुदान" कहा जायेगा यह सामान्य शिक्षा और प्राविधिक, मैनेजीरियल,व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण आदि के लिए भारत–चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य बाह्य आक्रमण के समय अथवा बाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इगरजेन्सी/ आतंकवाद की घटनाओं में वीरगति को प्राप्त हुये अथवा अपंग घोषित हुये सैन्य बल एवं पुलिस/ पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल के

परिस्थितियों में मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अपंग घोषित उक्त श्रेणी के सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी. कर्मियों के भी मामले सम्मिलित होंगें ।

2 परिभाषायें :–

(1) आश्रित:– आश्रित से तात्पर्य उपरोक्त श्रेणी के लाभ ...यों के बच्चे,भाई/बहन/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे (जो उन पर पूर्णतया आश्रित हो) सामान्य शिक्षा हेतु जिनकी आयु 22 वर्ष तक हो एवं प्राविधिक शिक्षा , मैनेजीरियल,व्यावसायिक या कृषि पाठ्यकम हेतु उनकी आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिये ।

(2) संस्था– संस्था से अभिप्राय भारतीय संघ के अन्तर्गत (तथा औद्योगिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए) सामान्य शिक्षा, प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यावसायिक या कृषि पाठ्यक्रम के लिये राज्य सरकार या केन्द्रीय शासित या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से है।

(3) संस्था का प्रधान :– संस्था के प्रधान से अभिप्राय संस्था के प्रशासनिक प्रधान से है। उदाहरण के लिये उपकुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, निदेशक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रधान अध्यापिका इसमे सम्मिलित होंगे।

3 प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की विधि :–

वार्षिक शिक्षा अनुदान के लिये प्रार्थना–पत्र मुफ्त में (बिना कोई भुगतान किये) जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारियों /सैनिक अभिलेख अधिकारियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पुलिस एवं पी0ए0सी0 के मामलों में प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित महा–निदेशक के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

4– (ए) वार्षिक शिक्षा अनुदान हेतु प्रार्थना –पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक संलग्नकों सहित, उत्तरांचल पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के कार्यालय में 31 अक्टूबर तक प्रतिरक्षा सैन्य बल के मामलों में जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी / सम्बन्धित रिकार्ड्स आफिसेज की संस्तुति सहित पहुँच जाने चाहिए। पुलिस एवं पी0ए0सी0 के मामलों में प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित उपरोक्त तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

(बी) जहाँ शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के आन्दोलन या अन्य किसी कारण वश देर से शुरू हो उन मामलों में सचिव, संस्थान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर के पश्चात् भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। जिन मामलों में पोस्टल डिले अथवा अन्य किसी न्यायसंगत कारण वश प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हों उन मामलों में भी सचिव निर्धारित तिथि में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

5– प्रार्थना–पत्र में मांगी प्रविष्टियाँ साफ एवं सही ढंग से भरी जानी चाहिए। प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र के समस्त भागों को प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिए। सम्बन्धित सैन्य बल के बच्चों/ आश्रितों की प्रविष्टियाँ उनके रिकार्ड्स आफिसेज / जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिए।

6– वार्षिक शिक्षा सहायता अनुदान हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये नये प्रार्थना–पत्र प्रत्येक मामले में प्रस्तुत किये जाने चाहिये चाहे वह नया मामला हो अथवा नवीनीकरण का।

7– एकबार स्वीकृत की गई वार्षिक सहायता केवल उसी स्वीकृत वर्ष के लिये ही मान्य होगी।

8– वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अर्हतायें :– अवं केवल हवलदार रैंक के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों को ही सहायता दी जायेगी।

वार्षिक शिक्षा अनुदान केवल उन्हीं मामलों में प्रदान किया जायेगा जिन्होंने कम से कम नीचे दिये गये प्रतिशतों के अन्तर्गत अपने अन्तिम वार्षिक परीक्षा मे अंक प्राप्त किए हों :–

(ए)– सामान्य शिक्षा :–

(1)	हाई स्कूल की कक्षाओं तक	48 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
(2)	इण्टरमीडिएट कक्षाओं यथा XI तथा XII	50 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा मे होने चाहिये।
(3)	स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे –बी.एस.सी./बी.ए./बी.काम./एम.एस.सी./एम.ए./एम.काम./एल.एल.बी./बी.एस.सी.(लिब)/ एल.एल.एम./बी.एस.सी.(ए.जी.)/ एम.एस.डब्लू./ बी.एड./एम.एड./एल.टी.	50 प्रतिशत अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
(4)	पी.एच.डी. (शोध कार्य) एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	60 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।

(बी) प्राविधिक /मैनेजीरियल/ व्यावसायिक शिक्षा :–

(1)	प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
(2)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
(3)	डिग्री पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।

(सी)– उन विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी जो निजी संस्थाओं में चार्टेड एकाउण्टेन्सी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि ले रहे हैं।

(डी)– वार्षिक शिक्षा अनुदान उन मामलों में भी दिया जायेगा जिसमें रेग्युलर वार्षिक परीक्षा नहीं हुई हो। इन मामलों में केवल अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति ही पर्याप्त होगी।

(ई)– शिक्षा सहायता हेतु प्रार्थी / प्रार्थिनी की सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रु0 18000/– (मूल पेंशन Commuted भाग सहित एवं भत्ते इत्यादि) होनी चाहिये।

9– वार्षिक शिक्षा अनुदान की दर :–

सामान्य शिक्षा : दरें विभिन्न कक्षाओं / पाठ्यक्रमों के लिए निम्नानुसार है :–

(1)	IX तथा X	400/–
(2)	XI तथा XII	500/–
(3)	बी.ए./बी.काम./बी.टी.सी./बी.एस.सी./बी.एस.सी.(ए.जी.)/बी.एड. तथा एल.बी./बी.एस0सी0 (लिब) /एल.टी.	700/–

(4)	एम.ए. / एम.काम.	700/–
(5)	एम.एस.सी. / एल.एल.एम. / एम.एस.सी.(ए. जी.) / एम.एस.डब्लू / एम.एस. / एम.बी.ए.	800/–
(6)	पी.एच.डी. / शोध कार्य) एल.एल.डी. तथा एम. फिल	5000/–
(7)	कोचिंग के लिए (प्रतियोगात्मक परीक्षा) (उच्च शिक्षा) अब मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी।	1000/–

10– प्राविधिक / मैनेजीरियल / व्यावसायिक शिक्षा :–

(1)	आई.टी.आई. सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल से नीचे या बराबर हो।	800/–
(2)	सर्टीफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए योग्यता हाई स्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो।	1000/–
(3)	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे– एम.बी.बी.एस. / बी.वी.एम.सी. / बी.टेक्क. / बी.डी.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.ए.एम.एस. / बी.एच. एम.एस. या ऊपर	1500/–
(4)	कम्प्यूटर शिक्षा में एक वर्ष या उससे अधिक प्रशिक्षण हेतु	5000/– प्रतिछात्र

11– शोध कार्य के लिए वार्षिक शिक्षा अनुदान रु0 5000/ वार्षिक की दर से भुगतान किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभार्थी को कोई वार्षिक शिक्षा सहायता किसी अन्य स्रोत जैसे कि यू.जी.सी. से न मिलता हो। इस पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की जॉच करके प्रबन्ध समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

12– यदि विद्यार्थी को फीस में कोई छूट या आर्थिक सहायता / शिक्षा सहायता / स्कालरशिप के रूप में किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही हो तो संस्थान से वार्षिक शिक्षा अनुदान जिसका वह पात्र होगा, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि की सीमा तक कम करते हुए भुगतान किया जायेगा। वार्षिक शिक्षा अनुदान की स्वीकृति सम्बन्धित छात्र के आचरण एवं प्रगति के संस्था के प्रधान द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्भर होगी।

13– वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान :–

वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी / पुलिस पी0ए0सी0 के महानिदेशक को एक गुप्त चेक द्वारा किया जायेगा जिसे वे चेक प्राप्ति के एक माह के अन्दर सम्बन्धित मामले में भुगतान कर देंगे। इस सम्बन्ध में धनराशि प्राप्तकर्ता से स्टाम्प रसीद अभिलेख कार्यालय / महानिदेशक कार्यालय में आडिट हेतु ली जायेगी परन्तु धनराशि के वास्तविक वितरण का उपयोग प्रमाण–पत्र भुगतान करने के पश्चात संस्थान के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाना चाहिये। यदि अभिलेख कार्यालय / पुलिस या पी.ए.सी. महानिदेशक द्वारा धनराशि का भुगतान सम्बन्धित मामलों में मनीआर्डर द्वारा किया जाता है तो मनीआर्डर कमीशन के रूप में उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि के प्रमाणित वितरण भेजने पर उसका भुगतान संस्थान द्वारा उसी दशा में किया जायेगा यदि वास्तव में उनके द्वारा मनीआर्डर से धनराशि का भुगतान किया जा चुका हो।

14— अग्राह्यता (Inadmissibility):—

(ए) यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसे उच्च दर से देय वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जायेगा।

(बी) यदि संस्था का प्रधान यह अनुभव करता है कि विद्यार्थी को वार्षिक शिक्षा अनुदान उसे दुर्व्यवहार या अध्ययन के प्रति पूर्ण उदासीनता अथवा किसी अन्य कारणों के कारण नहीं भुगतान किया जाना चाहिये तो उसे इस सम्बन्ध में तुरन्त सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय पुलिस या पी.ए.सी. महानिदेशक को सूचित करना चाहिये। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/ पुलिस व पी.ए.सी. महानिदेशक भेजी गई वार्षिक शिक्षा अनुदान की धनराशि संस्थान के नाम चेक बनाकर तुरन्त वापस लौटा देंगे।

(सी) वार्षिक शिक्षा अनुदान को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता, यह केवल संस्थान के नियमों के अन्तर्गत ही देय है। वार्षिक शिक्षा अनुदान का मूल उद्देश्य लाभ भोगियों को शिक्षा प्राप्ति / प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु आय के स्रोतों को अनुपूरित करना है।

(डी) जिन लाभभोगियों के बच्चों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा–शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/ प्रमाण–पत्र जारी करके शिक्षा–शुल्क, पुस्तक एवं होस्टल आदि व्यय की पूरी सहायता दी जाती है, उन्हें संस्थान से शैक्षिक सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार शिक्षा सम्बन्धी सारे व्यय को पूरा करती है।

Letter No. 1520/Seven/278-Industry/04

Sanjeev Chopra,
The Secretary,
Govt. of Uttaranchal,
Dehradun.

To,

The Managing Directors,

1- State Industrial Dev. Corp. Uttaranchal Ltd.
2- Uttaranchal Hydro-Electric Corporation.
3- Uttaranchal Power Corporation.
4- Garhwal Mandal Vikas Nigam.
5- Kumaun Mandal Vikas Nigam.
6- Garhwal Schedule Tribe Dev. Corporation.
7- Kumaon Schedule Tribe Dev. Corporation.
8- Hiltron.
9- Uttaranchal Forest Development Corporation Ltd
10- Uttaranchal Terai & Seed Development Corp.
11- Uttaranchal State Khadi and Gramodyog Board
Uttaranchal Live Stock Development board
Uttaranchal Pollution Control Board.
14- Uttaranchal Tourism Development Board.
15- Uttaranchal Sugar Board.
16- Uttaranchal Dairy Federation Ltd.
17- Uttaranchal Drinking Water Resource Dev. and Formation Corp
18- Mandi Parishad.
19- Multi Purpose Finance & Development Corp

Industrial Development Section, Dehradun : Dated: 16 **July-2004**

Subject: Engagement of Ex-servicemen of Uttaranchal Domicile in security related services.

Sir,

The Govt. of Uttaranchal has recently taken the initiative of constituting the Uttaranchal Purv Sainik Kalyan Udham Ltd. (UPSKUL) to provide security cover and other miscellaneous services through ex-servicemen domiciled in Uttaranchal. It is therefore requested that whenever possible, the UPSKUL should be engaged for the above.

India that in the formation of Uttaranchal, the contracts with the Uttar Pradesh Sainik Kalyan Nigam should be reviewed, and wherever possible, work given to the newly formed Uttaranchal Purv Sainik Kalyan Udham Ltd.

Yours faithfully,

(Sanjeev Chopra)
Secretary.

Copy forwarded to: Chairman and Managing Director, Uttaranchal Purv Sainik Kalyan Udham Ltd. He may circulate/forward copies to this letter to public sector units/Govt. Corp-/Boards in the state of Uttaranchal.

(Sanjeev Chopra)
Secretary.